

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

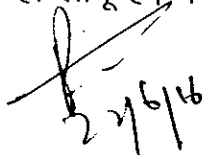
संकल्प

पटना, दिनांक-

विषय: ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं की निरीक्षण एवं गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली हेतु त्रिस्तरीय कोषांग का गठन।

1. ग्रामीण कार्य विभाग ने अद्यतन 122598 कि०मी० की लम्बाई में 57637 कि०मी० ग्रामीण सड़कों का निर्माण पूर्ण किया है तथा 2921 कि०मी० की लम्बाई में विभागीय अनुरक्षण नीति के आलोक में 616 पथों का अनुरक्षण सम्पन्न कराया है। वर्तमान में 13635 कि०मी० की लम्बाई 5177 पथों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना सहित अन्य राज्य योजनाओं के तहत 5730 कि०मी० की लम्बाई में 3682 पथों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार के निश्चय के अनुरूप करीब 35000 चिह्नित बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदान करने के लिए अगले पाँच वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 5581 कि०मी० तथा मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के तहत 28905 कि०मी० की लम्बाई में पथों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त उपग्रह चित्रों के आधार पर वैसे बसावटों को सर्वेक्षित किया गया है, जो केन्द्रीय कोर नेटवर्क या राज्य कोर नेटवर्क में चिह्नित नहीं हो सके हैं। सर्वेक्षण के बाद इन अचिह्नित बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदान करने के लिए ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना के तहत पथों का निर्माण भी प्रस्तावित है।

2. इस प्रकार पूर्ण किये गये, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित पथों एवं पुलों की गुणवत्ता का प्रबंधन एक गम्भीर चुनौती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माण कार्य की गुणवत्ता तथा निर्माण के पश्चात् अनुरक्षण अवधि तक गुणवत्ता के जाँच के लिए त्रिस्तरीय निरीक्षण प्रणाली लागू है, जिसके तहत निर्माण के क्रम में प्रत्येक पथ का कम से कम दो बार तथा निर्माण के पश्चात् अनुरक्षण अवधि में कम से कम एक बार पथों का निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के प्रथम स्तर पर अधीक्षण अभियंता तक के विभागीय अभियंता सम्मिलित है, जबकि द्वितीय स्तर पर राज्य गुणवत्ता मॉनिटर (SQM) तथा तृतीय स्तर पर भारत सरकार के राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर (NQM) शामिल है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पथों के लिए निरीक्षण मापदंड औपचारिक रूप से निर्धारित है तथा निरीक्षण के पश्चात् निर्माण कार्य के सुधार तथा गुणवत्ता प्रबंधन के लिए Action Taken Report (ATR) की व्यवस्था लागू है। यह पूरी व्यवस्था भारत सरकार के Online platform, जिसका नाम OMMAS है, पर आधारित है किन्तु राज्य सरकार के योजनाओं के निरीक्षण तथा गुणवत्ता प्रबंधन के लिए कोई विशिष्ट प्रणाली या तंत्र अभी तक लागू नहीं की जा सकी है। हालांकि योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के संबंध में विभाग के द्वारा Management Information System (MIS) अधिष्ठापित किया गया है, तथापि निरीक्षण एवं गुणवत्ता प्रणाली मुख्यतः पारंपरिक तरीके से ही लागू है। वर्तमान व्यवस्था में गुणवत्ता प्रबंधन से लेकर



निरीक्षण की जिम्मेदारी अधीक्षण अभियंता तक के विभागीय अभियंताओं की है और निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की कोई टोस प्रभावी व्यवस्था लागू नहीं है।

3. उपरोक्त परिस्थितियों में विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर गठित एक एकीकृत निरीक्षण तंत्र की सघन आवश्यकता महसूस की जाती रही है। विभाग की मूल चिंता यह है कि विभागीय योजनाओं की निरीक्षण प्रणाली केन्द्रीय योजनाओं के अनुरूप त्रिस्तरीय हो और इसके लिए विभाग के बाहर के स्वतंत्र अभियंताओं को भी निरीक्षण एवं गुणवत्ता प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाय। अतः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अनुरूप ही विभाग की प्रस्तावित निरीक्षण एवं गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में विभागीय अभियंताओं का प्रथम स्तर, ग्रेजुएट स्वतंत्र अभियंताओं का द्वितीय स्तर तथा वरीय स्वतंत्र अभियंताओं का तृतीय स्तर प्रस्तावित है। इस प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ निम्नवत् हैं:-

- (i) विभाग में विभागीय सचिव/प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक गुणवत्ता प्रबंधन कोषांग गठित किया जाएगा, जिसमें मुख्य अभियंता- 4 के साथ-साथ अधीक्षण अभियंता, तीन कार्यपालक अभियंता तथा छः सहायक अभियंता प्रतिनियुक्त होंगे। इस कोषांग में एक गुणवत्ता विशेषज्ञ को भी अनुबंध पर लिया जाएगा।
- (ii) इस कोषांग के नीचे विभागीय अभियंताओं का At PIU level प्रथम स्तर कार्यरत होगा, जो Standard Bidding Document (SBD) के प्रावधानों के अनुरूप संवेदक के द्वारा की जानेवाली जाँच को सुनिश्चित करायेंगे। इन जाँचों में से 50% जाँच कनीय अभियंता की उपस्थिति में, 20% जाँच सहायक अभियंता तथा 5% जाँच कार्यपालक अभियंता की उपस्थिति में सम्पन्न की जाएगी और जाँच परिणामों को विहित गुणवत्ता नियंत्रण पंजी 1 में अंकित किया जाएगा। ये जाँच इस प्रकार की जाएगी कि PWD Code के प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन हो। जाँचों की मासिक रिटर्न ऑनलाईन तरीके से समर्पित की जाएगी और प्रतिवेदनों के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई विभागीय कोषांग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
- (iii) जाँच का दूसरा स्तर सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्यरत स्वतंत्र ग्रेजुएट अभियंताओं का होगा और उन्हें इस प्रकार जाँच आवंटित की जाएगी कि प्रत्येक योजना का कम से कम दो बार जाँच संभव हो। इसके प्रतिवेदन भी ऑनलाईन समर्पित किये जायेंगे, जिनके साथ Geo-tagged तथा Time stamped Photograph भी होंगे। एक स्वतंत्र अभियंता के जिम्मे 2 PIU होंगे तथा इनके कामों का सतत अनुश्रवण विभागीय कोषांग द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
- (iv) स्वतंत्र अभियंताओं के प्रतिवेदन की तकनीकी आवश्यकताएँ पूर्व से निर्धारित रहेंगी, जिसमें डिजाइन से लेकर गुणवत्ता जाँच निर्माण कार्यक्रम, भौतिक प्रगति, क्रियान्वयन पद्धति तथा विभागीय अभियंताओं के निरीक्षण से संबंधित मुद्दे भी होंगे।
- (v) निरीक्षण के तीसरे स्तर पर Principal Quality Monitor (PQM) होंगे, जो सामान्यतः राज्य/केन्द्रीय संगठनों के सेवानिवृत्त, वरीय अभियंता होंगे और इनकी जाँच की आवृत्ति तथा निरीक्षण बिन्दु भी पूर्व निर्धारित होंगे।
- (vi) निरीक्षण की पूरी प्रणाली क्रमबद्ध है और कोषांग द्वारा निरीक्षण के लिए योजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण किया जायेगा। प्रथम प्राथमिकता में वैसी योजनाएँ होंगी, जिसमें मिट्टी का कार्य चल रहा हो ताकि इस स्तर पर तकनीकी हस्तक्षेप से अगले चरणों के कार्य में त्रुटियाँ न्यूनतम हों। दूसरी प्राथमिकता जारी योजनाओं की होंगी।

तीसरी प्राथमिकता उन योजनाओं को दी जाएगी, जिनका पिछले तीन माह में निरीक्षण नहीं हुआ हो। चौथी प्राथमिकता में पूर्ण की गयी योजनाओं का निरीक्षण शामिल होगा तथा पाँचवी प्राथमिकता में परिवार तथा निरीक्षण के क्रम में पायी गई त्रुटियों के आधार पर की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित होंगी।

(vii) निरीक्षण की प्रस्तावित प्रणाली में परीक्षण करने, निरीक्षण को संगठित करने तथा किये जा रह कार्यों की ग्रेडिंग करने की पूरी प्रक्रिया निर्धारित है। निरीक्षण के बाद योजनाओं की Overall grading तीन श्रेणियों में की जाएगी, (क) असंतोषजनक (U) (ख) संतोषजनक किन्तु सुधार आवश्यक (SRI) तथा (ग) संतोषजनक (S)। असंतोषजनक (U) श्रेणी की योजनाओं के लिए प्रशासनिक तथा तकनीकी जिम्मेदारी तय करते हुए त्रुटियों को सुधार कराया जाएगा।

(viii) कोषांग के प्रत्येक सदस्य की भूमिका एवं जबाबदेही पूर्व निर्धारित है। इस प्रकार स्वतंत्र अभियंताओं तथा PQM का योगदान पारिश्रमिक तथा कार्य पद्धति भी प्रस्तावित नीति में विहित की गई है।

(ix) पूरी प्रणाली को कारगर बनाने के लिए एक विशेष web based monitoring system अधिष्ठापित की जाएगी जिसमें विशेष Applications के आधार पर mobile device से inputs डाले जा सकते हो तथा विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदनों का सृजन कर विश्लेषण किया जा सकता हो।

(x) पूरी निरीक्षण प्रणाली को अधिष्ठापित करने तथा Online Monitoring system का सृजन करने में एक मुश्त रु० 30.00 लाख (रु० तीस लाख) एवं रु० 10,33,50,000.00 (दस करोड़ तैंतीस लाख पचास हजार) वार्षिक अनुमानित लागत आयेगी, जिसका वहन राज्य योजनाओं के प्रशासनिक मद से किया जायेगा। इस कार्य के लिए स्वतंत्र अभियंताओं तथा PQM को छोड़कर विभागीय संसाधनों का ही पूर्ण उपयोग किया जाएगा।

4. कंडिका-3 के प्रस्ताव एवं संलेख प्रारूप में माननीय विभागीय (ग्रामीण कार्य विभाग) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

5. प्रस्ताव पर वित्त विभाग, बिहार की सहमति प्राप्त है।

6. कंडिका-3 के प्रस्ताव तथा संलग्न गुणवत्ता अनुश्रवण दिशानिदेश पुस्तिका पर मंत्रिपरिषद् की बैठक में दिनांक 16.06.2016 के मद संख्या-12 के रूप में स्वीकृत है।

अनु०:- यथोक्त।

(विनय कुमार)

सरकार के सचिव

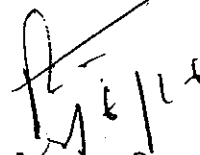
ज्ञापांक- मु०अ०-4 (मु०) विविध (कार्य)-23-30/2016 1360

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

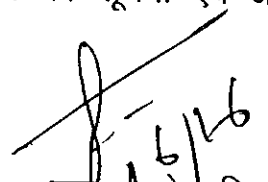
ज्ञापांक- मु0अ0-4 (मु0) विविध (कार्य)-23-30/2016 1360 /पटना, दिनांक-24/06/16

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक- मु0अ0-4 (मु0) विविध (कार्य)-23-30/2016 1360 /पटना, दिनांक-24/06/16

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग तथा ग्रामीण कार्य विभाग मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक- मु0अ0-4 (मु0) विविध (कार्य)-23-30/2016 1360 /पटना, दिनांक-24/06/16

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। इनसे अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी पाँच सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें।


सरकार के सचिव